

22/11/18 अनुसूचित उपजात अनुसूचित जात
को देना गया। व्यक्ति विशेष के सुवादि
विभाजन प्रस्ताव के दावा क्रमिक रूप से
डिमी रिपे जाने का निर्देश दिया गया।
नोटिस कलाया गया।

परावर्ती व परावर्ती में उपलब्ध
राजस्व रिमाई व विभाजन प्रस्ताव का क्रमिक
रिपे गया। राजस्व लोक कालर की भावना को
देखते हुए दावा खादीगण सुवादि विभाजन
प्रस्ताव के क्रमिक रूप से डिमी रिपे जाग
उचित प्रतीत होगा है।

क. उपरोक्त विवेचन के आधार
पर दावा खादीगण सुवादि विभाजन प्रस्ताव
के क्रमिक रूप से डिमी रिपे जाग है। विभाजन
प्रस्ताव में नमूना डिमी का भाग रहेगा। तदनुसार
राजस्व रिमाई में क्रमिक दरानुसार हेतु कार्य डिमी जारी है।
परावर्ती प्रकृत अनुसूचित जात के रूप से दावा
दस्तावेज है।

(अगतीरा प्रसाद जोशी)
उपस्थित अधिकारी
नगरपालिका

[Handwritten signature]